**आवश्यक शर्त्तें :–**

1. फ्राई कैचिंग नेट का दर जाल की लम्बाई एवं चौडाई के साथ (3 मीटर चौडाई × 1 मीटर लम्बाई) प्रति मीटर की दर से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. फ्राई कैचिंग नेट प्रति मीटर (3 मीटर चौड़ा × 1 मीटर लंबा) का मूल्य 66.67 रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. फ्राई कैचिंग नेट में उपर–नीचे नायलॉन का रस्सी एवं नेट के उपर की रस्सी में दस फीट की दुरी पर फ्लोट लगाना अनिवार्य होगा।
4. फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति हेतु जाल का साईज एवं संख्या स्वीकृत दर के अनुरूप सफल निविदादाता को कार्यादेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
5. आमंत्रित दर के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा के पदनाम से देय मो0 20,000/– रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को पैन संख्या एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTIN) की स्व–अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
7. आपूर्ति हेतु तैयार तीन मीटर चौड़ाई × एक मीटर लम्बाई का फ्राई कैंचिग नेट का नमूना, दर आमंत्रण के साथ अलग से आपूर्तिकर्त्ता का नाम व पता का टैग लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. इस दर आमंत्रण को स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार निविदा समिति के अधीन होगा।
9. यदि प्रथम सफल निविदादाता सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे सफल निविदादाता को उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अवसर दिया जाएगा।
10. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. दिनांक 29.06.2019 को 12.00 बजे दिन तक जिला मत्स्य कार्यालय, गोड्डा में निविदा जमा किया जा सकता है, तथा निविदा उसी दिन अपराह्न 2.30 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।
13. आयकर रिटर्न वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक का देना अनिवार्य होगा।
14. अद्यतन (GSTIN) रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा।